विशिष्ठ न्यायाधीश (विद्युत मामलात)
न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रदीप कुमार वर्मा, आर जे एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

रे.फौ. प्रकरण संख्या : 02/2018
(सी.आई.एस.नम्बर 02/2018)

राजस्थान राज्य .... अभियोगी

विरूद्व

कालुलाल पुत्र भैराजी प्रजापत (कुम्हार) निवासी ओवरा (लसाडिया) थाना लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003

उपस्थित :–
(1). श्री भानू भटनागर– अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।
(2). श्री फतहसिह राठौड– अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांक : 13.09.2019

1. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त कालुलाल के विरूद्व यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2011 को अपराध अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 17.12.2016 को कार्यालय अधिशाषी अधिभयंता (सतर्कता प्रथम) अ.वि.वि.नि.लि. उदयपुर से जरिए डाक एक रिपोर्ट मय मूल वी सी आर, नोटिस की प्रति, फोटो 06 के इस आशय की प्राप्त हुई कि मैं कमलेन्द्र खोईवाल अधिशाषी अभियंता(सर्तकता प्रथम) अ.वि.वि.नि.लि. पी.ड. 3 मय वाहन संख्या आर जे आर जे 01 यू ए 6854 मय सतर्कता जांच दल को लेकर सतर्कता जांच करते हुए गांव लसाडिया उपखण्ड भीण्डर में कालुलाल प्रजापत यहां परिसर पर पहुंचे जहां करने पर पाया कि उक्त व्यक्ति ने अपनी दुकानों के सामने स्थित निगम की एल टी ए बी पोल से सीधे आंकडी लगा कर दुकानो में निर्माण कार्य में विद्युत उपयोग

कर अवैध विद्युत दोहन कर विद्युत चोरी करते पाया गया। जिसके लिए मौके पर वी सी आर नंबर 11313/08 भरी गई व फोटो खिंचे गए तथा आरोपी को नोटिस देने के बाद भी जुर्माना राशि 56,280 रूपए जमा नहीं करवाई गई.... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 247/2016 अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम,2003 में दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत पेश किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाने के पश्चात अभियुक्त को आरोप धारा 135 विद्युत अधिनियम में आरोपित किये जाने पर अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डबल्यु. 1 मोहम्मद जफर खान, पी.ड. 2 इन्द्रप्रकाश, पी.ड. 3 कमलेन्द्र खोईवाल, पी.ड. 4 देवीलाल जाट, पी.ड. 5 भरतलाल जाट, पी.ड. 6 गौतमलाल, पी.ड. 7 नरेश, पी.ड. 8 कालु, पी. ड. 9 वालाराम, पी.ड. 10 कन्हैयालाल, पी.ड. 11 जाकिर हुसैन, पी.ड. 12सोहनलाल, पी.ड. 13 श्रीमती निलम निमेश को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.16 को प्रदर्शित कराया गया।

5. अभियुक्त के बयान धारा 313 दं. प्र. सं. तहत लिए गए, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य मे कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की ।

6. दिनांक 13.07.2019 श्री कमलेन्द्र खोईवाल, अधिशाषी अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से समझौता नामा पेश कर कथन किया कि लोक अदालत की भावना से सिविल लाईबिलिटी की राशि में छूट दिए जाने की मंशा से प्रोविजनल असेसमेंट का पुर्ननिर्धारण किया गया जिसमें यदि आज दिनांक की लोक अदालत के समझौते के आधार पर पचास प्रतिशत सिविल लाईबिलिटी की राशि मे छूट दिए जाने से आरोपी प्रशमन राशि 3600 रूपए, सिविल लाईबिलीटी की राशि का पचास प्रतिशत 26,340 रूपए कुलिया 29,940 रूपए की राशि जमा करवा दे तो प्रकरण का कम्पाउण्डिंग के आधार पर निस्तारण किया जावे। इस पर अभियुक्त द्वारा प्रशमन राशि व सिविल लाईबिलिटी राशि जमा कराने की रसीद दिनांक 29.08.19 को पेश की गई।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह हैं कि–

1. क्या अभियुक्त कालुलाल ने दिनांक 22.09.16 को 09.30 ए एम

के लगभग मोजा लसाडिया उपखण्ड भीण्डर में अपनी दुकानो के सामने स्थित निगम के एल टी एबी पोल से सीधे आंकडी लगा कर दुकानों में निर्माण कार्य में विद्युत उपयोग कर अवैध विद्युत दोहन कर बेईमानीपूर्ण आशय से विद्युत चोरी करते पाए गए ?

2. यदि हॉ तो उसके लिए क्या दण्ड होगा ?

बिन्दु संख्या एक–

7. इस बिन्दु के संबंध में विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि समस्त साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्व घोषित करने की प्रार्थना की गई।

8. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अभियुक्त का यह निवेदन रहा है कि इस प्रकरण में अभियुक्त को निराधार फंसाया गया है। विद्युत निगम द्वारा तय की गई जुर्माना राशि अभियुक्त द्वारा लोक अदालत की भावना से जमा करवाई जा चुकी है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

9. उभय पक्षकारान की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम प्रस्तुत प्रकरण में स्थिति को देखे तो अभियुक्त द्वारा मौजा लसाडिया उपखण्ड भीण्डर में अपनी दुकानो के सामने स्थित निगम के एल टी एबी पोल से सीधे आंकडी डाल कर विद्युत की चोरी की इसके संबंध में हम पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखे तो रिपोर्टकर्ता/जांचकर्ता कमलेन्द्र खोईवाल अधिशाषी अभियंता सर्तकता प्रथम पी.ड. 3 के रूप में परीक्षित होकर मुख्य परीक्षण में अभियोजनपक्ष की कहानी का समर्थन करते हुए कथन किया कि दिनांक 22.09.16 को मय स्टाफ सर्तकता जांच हेतु लसाडिया मे कालुलाल की दुकान पर पहुंचे उस समय दुकान पर निर्माण कार्य चल रहा था व फर्शी लगाई जा रही थी जिसमें विद्युत पोल से सीधा आंकडी डाल कर विद्युत उपभोग करते पाया गया। मौके पर फोटो खिंचे व वी सी आर बनाई जो प्रदर्श पी 1 है। उपभोक्ता को प्रशमन राशि व सिविल लाईबिलिटी राशि जमा कराने को कहा किन्तु उसके द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई जिस पर कालुलाल के नाम एक नोटिस प्रदर्श पी 6 जारी किया गया। प्रशमन राशि व सिविल लाईबिलिटी जमा नहीं कराने पर उपभोक्ता के विरूद्ध रिपोर्ट दी गई जो प्रदर्श पी 7 है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 8 है। एफ आई आर दर्ज कराने के बाद अनुसंधान अधिकारी को मौका दिखाने गए जिसका नक्शामौका प्रदर्श पी 2

बनाना कथन किया। जिरह में इस गवाह का कथन है कि प्रदर्श डी 1 से प्रदर्श डी 6 तक खम्भो पर आंकडी लगी हुई दर्शित है। मौके पर वी सी आर तैयार की थी। जांच दल के साथ गए गवाह पी.ड. 1 मोहम्मद जफर खान, पी.ड. 2 इन्द्रप्रकाश, पी.ड. 5 भरतलाल भी कहते है कि ये विजिलेंस टीम के साथ लसाडिया मे कालुलाल के निर्माणाधीन दुकानों पर गए थे। मौके पर पोल से आंकडी डाल कर बिजली का उपभोग किया जा रहा था वह बिना मीटर लिए बिजली का उपभोग कर रहा था। प्रशमनराशि औरसिविल लाईबिलिटी राशि जमा नहीं करवाये जाने पर कालुलाल के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई गई और वी सी आर शीट प्रदर्श पी 1 बनाई जिस पर उनके हस्ताक्षर होना बताया।

10. गवाह पी.ड. 4 देवीलाल प्रोपर्टी डिलर ने लसाडिया बाईपास पर दो दुकाने कालुलाल जी को उनकी पत्नी कमलाबाई के नाम पर बेचना कथन किया है। पी.ड. 6 गातमलाल ने विक्रय इकरार प्रदर्श पी 9 पर उसके हस्ताक्षर होना कहता है। पी.ड. 7 नरेश कालुलाल की दुकान में चैनल गेट बनाने का साक्षी है। पी.ड. 7 कालु व पी.ड. 8 वालाराम मौके के गवाह है। उक्त सभी गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है। पी.ड. 10 कन्हैयालाल कालुलाल ने देवीलाल जी से दुकान खरीदी और सौ रूपए के स्टाम्प पर इकरारनामा प्रदर्श पी 9 तैयार किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होना कहता है।

11. अब प्रकरण मे गवाह जाकिर हुसैन पी.ड. 11 व सोहनलाल पी.ड. 12 अनुसंधान अधिकारी है, इन्होने अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के बाबत जो कार्यवाही की इस संबंध दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित करवाया। जिरह मे गवाह जाहिर हुसैन का कथन है कि फोटोग्राफ प्रदर्श डी 1 लगायत डी 6 पत्रावली पर जो फोटो है वो एफ आई आर के साथ पेश हुए थे। स्वतंत्र गवाह नही बनाए क्योकि कोई स्वतंत्र गवाह बनने का तैयार नहीं हुआ। सोहनलाल का जिरह में कथन है कि सरपंच के लेटर पड पर उसकी सकूनत बाबत प्रमाणपत्र लिया था जो पत्रावली मे मौजूद है। देवीलाल जाट ने बीस दुकाने बनाई थी। यह गलत है कि कितने नंबर की दुकान देवीलाल ने कालुलाल को दी इस बारे मे कोई पूछताछ नहीं की हो। कालुलाल से पूछताछ नोट बनाया वह उसके कहे अनुसार बनाया उसे पढकर सुनाया और उसके हस्ताक्षर करवाये। प्रदर्श डी 2 पूछताछ नोट मे ए से बी भाग कालुलाल के कहे अनुसार लिखाा था। गवाह पी.ड. 13 श्रीमती निलम निमेश जरिए डाक एक टाईपसुदा रिपोर्ट मय मूल वी

सी आर 11313/08, एक नोटिस की प्रति, 06 फोटोग्राफ सहित प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अपने मुख्य परीक्षण में कहती है। उक्त गवाहों से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह की गई, परन्तु इनकी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोडा जा सकता हो अतः उक्त गवाहों की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

13. समस्त साक्ष्य के विश्लेषण व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज कमलेन्द्र खोईवाल का पदस्थापन आदेश प्रदर्श पी 3, चार्ज आदान प्रदान पत्र प्रदर्श पी 4 से कमलेन्द्र का एक्शन विजिलेंस प्रथम के पद पर कार्यरत होना प्रमाणित है और वी सी आर प्रदर्श पी 1, अभियुक्त को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 6, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7, चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 8, नक्शामौका प्रदर्श पी 02 आदि से अभियुक्त कालुलाल द्वारा विद्युत पोल पर डायरेक्ट आंकडी डाल कर विद्युत चोरी कर संबंध भार चला कर विद्युत चोरी किया जाना पूर्णतया संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई कि वह एल टी पोल पर डायरेक्ट आंकडी डाल कर विद्युत चोरी कर संबंध भार चला विद्युत चोरी नहीं कर रहा था, अपितु अभियुक्त द्वारा लोक अदालत की भावना से विद्युत विभाग में प्रशमन राशि व सिविल लाईबिलिटी राशि जमा कराने की रसीद पेश की है। उपरोक्त सभी आधारों व अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 कारित किया जाना प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोष सिद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश –

14. अभियुक्त कालुलाल पुत्र भैराजी प्रजापत (कुम्हार) निवासी ओवरा (लसाडिया) थाना लसाडिया जिला उदयपुर (राज.) को धारा 135 विद्युत अधिनियम में दोषसिद्व घोषित किया जाता है।

(प्रदीप कुमार वर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1),
उदयपुर(राज.)

15. सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

सजा के प्रति नरमी का रूख अपनाने का निवेदन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि समझौतानामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से अभियुक्त द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि जमा कराई जा चुकी है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर परीविक्षा का लाभ दिया जावे। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उचित रूप से दण्डित करने का निवेदन किया।

16. उभय पक्षकारान को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्तुत प्रकरण में स्थिति को देखे तो दिनांक 13.07.2019 श्री कमलेन्द्र खोईवाल, अधिशाषी अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से समझौता नामा पेश कर कथन किया कि लोक अदालत की भावना से सिविल लाईबिलिटी की राशि में छूट दिए जाने की मंशा से प्रोविजनल असेसमेंट का पुर्ननिर्धारण किया गया जिसमें यदि आज दिनांक की लोक अदालत के समझौते के आधार पर पचास प्रतिशत सिविल लाईबिलिटी की राशि मे छूट दिए जाने से आरोपी प्रशमन राशि 3600 रूपए, सिविल लाईबिलीटी की राशि का पचास प्रतिशत 26,340 रूपए कुलिया 29,940 रूपए की राशि जमा करवा दे तो प्रकरण का कम्पाउण्डिंग के आधार पर निस्तारण किया जावे। इस पर अभियुक्त द्वारा प्रशमन राशि व सिविल लाईबिलिटी राशि जमा कराने की रसीद दिनांक 29.08.19 को पेश की गई जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त की ओर से प्रशमन की राशि व सिविल लाईबिलिटीज की कुल राशि 29,940/—रूपए विद्युत विभाग में जमा करवाई जा चुकी है। मुलजिम पर पूर्व दोष सिद्वि का कोई आरोप नहीं है ऐसे मे प्रथम अपराध माना जावेगा। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

17. अभियुक्त कालुलाल पुत्र भैराजी प्रजापत (कुम्हार) निवासी ओवरा (लसाडिया) थाना लसाडिया जिला उदयपुर (राज.) को धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध मे दोषसिद्व पाए जाने पर उसे उक्त अपराध में तुरन्त कारावास से दण्डित करने के बजाय अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा—4(1) के तहत आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त दस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र इन शर्तो के साथ कि वह आज से एक वर्ष की अवधि

तक सदाचरण व शांति बनाये रखेगा,अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर स्वंय उपस्थित होगा, न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उसे सदाचरण की परीविक्षा पर छोड़ दिया जावे।

(प्रदीप कुमार वर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1),
उदयपुर(राज.)

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार वर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1),
उदयपुर(राज.)